

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 598] No. 598] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 27, 2018/भाद 5, 1940

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27, 2018/BHADRA 5, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 27 अगस्त. 2018

सा.का.िन. 813(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (23 के 1940) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इन प्रारूप नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, तो अवर सचिव, (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 414ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को अग्रेषित किया जाए अथवा drugsdivmohfw@gov.in पर ई-मेल किया जाए।

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री (..... संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम 1 जनवरी, 2019 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की अनुसूची क में प्ररूप 45 में क्रम संख्या (8) की शर्त के अंत में निम्नलिखित शब्दों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:—

5025 GI/2018 (1)

"नई औषधि की प्रत्येक बिक्री योग्य इकाई के साथ उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए पैकेज सिन्नवेश शामिल होगा ।":

3. उक्त नियमों में अनुसूची क के प्ररूप 46 में क्रम संख्या (8) की शर्त के अंत में, निम्नलिखित शब्दों को शामिल किया जाएगा, अर्थात:—

"नई औषधि की प्रत्येक बिक्री योग्य इकाई के साथ उपभोक्ताओं को प्रदान करने के लिए पैकेज सन्निवेश शामिल होगा ।" ।

> [फा. सं.एक्स-11014/18/2018-डीआर] सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 21 दिसंबर, 1945 की अधिसूचना संख्या एफ-28-10/45-एच (1) में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. -----(अ) दिनांक ------------------द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2018

G.S.R. 813(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 12 and Section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public.

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Room No. 414 A, D Wing, Nirman Bhavan, New Delhi - 110011 or emailed at drugsdiv-mohfw@gov.in.

DRAFT RULES

- 1. (1) These rules may be called the Drugs and Cosmetics (...... Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the first day of January, 2019.
- 2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, (hereinafter to be referred as said Rules), in Schedule A, in Form 45, in the condition at serial number (8), at the end the following words shall be inserted, namely:-
 - "Each saleable unit of the new drug shall accompany by the package insert for providing to the consumer.";
- 3. In the said rules, in Schedule A, in Form 46, in the condition at serial number (8), at the end the following words shall be inserted, namely:-
 - "Each saleable unit of the new drug shall accompany by the package insert for providing to the consumer.".

[F. No. X.-11014/18/2018-DR] SUDHIR KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Official Gazette *vide* notification No. F. 28-10/45-H (1), dated 21st December, 1945 and last amended *vide* notification number G.S.R...........(E), dated